रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 52] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 17, 1983/आश्विन 25, 1905
No. 52] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 17,983/ASVINA 25, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 1983

आ. अ. 96(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-ग की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग अपनी तारीख 16 मार्च, 1981 की अधिसूचना सं. 429/ल.नि./81 द्वारा पहले से ही नियुक्त आफिसरों के अतिरिक्त अगत्ती, कोल्टन, चेटलाट, कडमाट तथा

कालपनी द्वीप समूहों के खण्ड विकास अधिकारियों को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसरों के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त करता है ।

[सं. 429/ल. मि./81(1)]

आदेश से,

एम. एल. वाही, अवर सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th October, 1983

O.N. 96(E).—In exercise of the powers conferred by section (1) of section 13C of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission hereby appoints the Block Development Officers of Agatti, Kiltan, Chetlat, Kadmat and Kalpeni Islands as the Assistant Electoral Registration Officers in addition to the officers already appointed by the Commission vide its notification No. 429|LD|81(1) dated the 16 March, 1981.

[No. 429|LD|81(1)]

By order,

M. L. WAHI, Under Secy.

Election Commission of India.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983